ISSN Print: 2394-7500
ISSN Online: 2394-5869
Impact Factor (RJIF): 8.4
IJAR 2023; 9(11): 116-120
www.allresearchjournal.com
Received: 15-08-2023
Accepted: 25-09-2023

डॉ. विश्वनाथ शर्मा
Lalit Narayan Mithila University, Kameshwar Nagar, Darbhnga, Bihar, India

Corresponding Author:
डॉ. विश्वनाथ शर्मा
Lalit Narayan Mithila University, Kameshwar Nagar, Darbhnga, Bihar, India

हिंदी भाषा के विकास में गांधी जी की भूमिका

डॉ. विश्वनाथ शर्मा

सारांश
भारतीय होने के नाते गांधीजी जानते थे की हिंदी कमोवेश भारत के सभी भाषा-भाषी जानते हैं। मुकदमे के दौरान गांधी जी को स्पष्ट हो गया था कि दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले हिंदुस्तानियों में तमिल, तेलगु, मलयालम, गुजराती, पंजाबी, राजस्थानी और हिंदी सभी भाषाएं बोलने वाले लोग है किंतु उनके आपसी व्यवहार की भाषा हिंदी ही है। हिंदी भाषा को ही अस्त्र के रूप में मानकर गांधी जी ने गिरमिटिया मजदूरों को साथ लेकर रंग भेद के विरुद्ध आंदोलन का शंखनाद किया। और अंततः मुक्ति दिलायें। इंडियन ओपिनियन में गांधी जी ने हिंदी को मीठी, नम्र और ओजस्वी भाषा स्वीकार किया है।

कूटशब्द: हिंदी भाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा हिंदुस्तानी एवं स्वाधीनता संघर्ष

प्रस्तावना
भाषा भावों और विचारों की संवाहिका है। राष्ट्रभाषा राष्ट्रीय स्वाभिमान से जुड़ी हुई भाषा है। राष्ट्रभाषा बहुजन की भाषा है। यह देश के अधिकतम भागों में अधिकांश लोगों के द्वारा बोली और समझी जाती है। यह कार्य भारत में कोई अन्य भाषा नहीं कर सकती है। आपसी संपर्क की दृष्टि से हिंदी ही एकमात्र ऐसी भाषा है जो पूरे देश में कमोवेश बोली और समझी जाती है। राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी के विकास में महात्मा गांधी का अभूतपूर्व योगदान रहा है। उन्होंने पूरे देश को राष्ट्रभाषा हिंदी के रूप में जोड़ने पर बोल दिया। वह केवल भाषा के रूप में ही हिंदी के पक्षधर नहीं बने अपितु जीवन शैली के रूप में भी हिंदी को प्रतिष्ठित किया। ऐसा नहीं था कि दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी राष्ट्र या राष्ट्रभाषा आंदोलन से जुड गए। अपने राष्ट्र और राष्ट्रभाषा भाषा हिंदी के प्रति लगाव दक्षिण अफ्रीका से ही था।

दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए गांधी जी ने अनुभव किया कि गिरमिटिया के रूप में आए हुए भारतीय मजदूर की हालत पशु से भी बददतर है। ये सभी मजदूर भारत के विभिन्न भाषा- भाषी क्षेत्रों से आये हैं। भारतीय होने के नाते गांधीजी जानते थे कि हिंदी कमोवेश भारत के सभी भाषा- भाषी जानते हैं। मुकदमे के दौरान गांधी जी को स्पष्ट हो गया था कि दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले हिंदुस्तानियों में तमिल, तेलगु, मलयालम, गुजराती, पंजाबी राजस्थानी और हिंदी सभी भाषाएं बोलने वाले लोग हैं किंतु उनके आपसी व्यवहार की भाषा हिंदी ही है। हिंदी भाषा को ही अस्त्र के रूप मानकर गांधी जी ने गिरमिटिया मजदूर को साथ लेकर रंगभेद के विरुद्ध आंदोलन का शंखनाद किया और अंततः मुक्ति दिलाए। इंडियन ओपिनियन में गांधी जी ने हिंदी को मीठी, नम्र और ओजस्वी भाषा स्वीकार किया है। गांधी जी कहते थे कि "हिंदी की प्रकृति प्रारंभ से ही सार्वदेशिक रही है। भारत के सुदूर अंचलों से आने वाले साधु- संतों की भाषा यही सर्व-देशिकता लिए हुई थी। यही कारण है कि भारत के सभी तीर्थ स्थलों की भाषा आज तक यही बनी हुई है।"[1] इंडियन ओपिनियन में गांधी जी लिखे थे- "यह संभव नहीं की अंग्रेजी जरिए भारत एक राष्ट्रभाषा बन जाए।"

दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने भारत के जनसामान्य की समस्याओं को समझने एवं लोगों तक अपनी पहुंच बनाने के लिए यात्राएं की। उन्होंने अनुभव किया कि यहां हिंदी के बिना काम चलाना असंभव है। 5 फरवरी 1916 को काशी नगरी पहुंचने सभा में भाषण देते हुए हिंदी भाषा के उपयोग पर बल देते हुए कहा था- "इस भाषा के जो अधिकारी वकील हैं उनसे मैं पूछता हूं कि वह अदालत में अपने काम अंग्रेजी में चलाते हैं या हिंदी में, यदि अंग्रेजी में चलाते है तो मैं कहूंगा कि हिंदी में चलाएं। जो युवक पढ़ते हैं उनसे भी मैं कहूंगा कि वे इतनी प्रतिज्ञा करें कि हमें आपस का पत्र- व्यवहार हिंदी में करें।"[2]

1917 में कोलकाता के कांग्रेस अधिवेशन में राष्ट्रभाषा हिंदी का प्रचार विशेषकर दक्षिण- भारत में भी ही उस पर बोल दिया गया। इसका प्रभाव संपूर्ण भारतवर्ष में होने लगा और हिंदी कार्यक्रम को भी स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संघर्षपूर्ण कार्यक्रम में महत्वपूर्ण स्थान दिया जाने लगा।

इंदौर में आयोजित हिंदी साहित्य सम्मेलन के आठवें अधिवेशन में अध्यक्षीय वक्तव्य देते हुए, 29 मार्च 1918 में गांधी जी ने हिंदी- उर्दू और लिपि के मुद्दे पर विस्तार से अपनी बात कही, "मैं कई बार व्याख्या कर चुका हूं कि हिंदी भाषा वह भाषा है जिसको उत्तर में हिंदू व मुसलमान बोलते हैं और जो नागरी और फारसी लिपि में लिखी जाती है। यह हिंदी एकदम संस्कृतमयी नहीं है, न एकदम फारसी शब्दों से लदी हुई है। देहाती बोली में जो माधुर्य मैं देखता हूं, वह न लखनऊ के मुसलमान भाइयों की बोली में है और न प्रयाग के पंडितों की बोली में पाया जाता है। भाषा वही श्रेष्ठ है, जिसको जनसमुह समाज में समझ ले। देहाती बोली सब समझते हैं। भाषा का मूल करोड़ों मनुष्य रूपी हिमालय में मिलेगा और उसमें ही रहेगा। हिमालय से निकली हुई गंगा अनंतकाल तक बहती रहेगी। ऐसे ही देहाती बोली का गौरव रहेगा और जैसे छोटी -सी पहाड़ी से निकला हुआ झरना सुख जाता है, वैसे ही संस्कृतमयी तथा फारसीमयी हिंदी की दशा होगी। हिंदू- मुसलमानों के बीच जो भेद किया जाता है, वह कृत्रिम है। ऐसी ही कृत्रिमता हिंदी व उर्दू भाषा के भेद में है। हिंदुओं की बोली से फारसी शब्दों का सर्वथा त्याग और मुसलमानों की बोली से संस्कृत का सर्वथा त्याग अनावश्यक है। दोनों का स्वाभाविक संगम गंगा -जमुना के संगम सा शोभित और अचल

रहेगा। मुझे उम्मीद है कि हिंदी- उर्दू के झगड़े में पड़कर अपना बल क्षीण नहीं करेंगे। लिपि के कुछ तकलीफ ज़रूर है। मुसलमान भाई अरबी लिपि में ही लिखेंगे। राष्ट्र में दोनों का स्थान मिलना चाहिए। अमलदारों को दोनों लिपियों का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। इसमें कुछ कठिनाई नहीं है। अंत में जिस लिपि में ज्यादा सरलता होगी, उसकी विजय होगी। भारतवर्ष में परस्पर व्यवहार के लिए एक भाषा होनी चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है।"[3] इस अधिवेशन की व्याख्या लोगों को हिंदी सीखने पर बहुत ही प्रभावित किया।

इंदौर अधिवेशन से इतने लोग प्रभावित हुए कि दक्षिण भारत के चार राज्य आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा केरल जो मद्रास के मुख्य अंग था वहां भी राष्ट्रभाषा हिंदी के रूप में प्रचार के उद्देश्य से छः सदस्यों की एक समिति बनाई गई। जिसमें गांधी जी और टंडन जी भी शामिल थे। राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का ही प्रयोग हो वो दक्षिण भारत के लोगों में सीखने की जो इच्छा थी उससे स्पष्ट पता चलता है। वे लिखते है कि गांधी जी से प्रार्थना है, कि हिंदी सीखने के लिए सुयोग्य अध्यापक को दक्षिण में भेंजे । इसके प्रतिक्रिया स्वरूप गांधी जी अपने छोटे पुत्र देवदास को मद्रास भेजे। सभा का मुख्य लक्ष्य था राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचार द्वारा भारतीय एकता को मजबूत बनाना तथा हिंदी के अनुकूल माहौल तैयार करना। 28 मार्च 1919 को गांधी जी ने कहा- "यह आपके ऊपर है चाहे तो मद्रास और अन्य स्थानों पर हिंदी सीखने की जो सुविधा उपलब्ध है उसका लाभ उठाएं। जब तक आप हिंदी नहीं सीखते तब तक आप शेष भारत से अपने को बिल्कुल अलग रखेंगे।"[4] दक्षिण में धीरे-धीरे हिंदी प्रचार का कार्यक्षेत्र विस्तृत हो गया और प्रचारकों की मांग बढ़ती गयी। मुख्यतः प्रचार -प्रसार के लिए भाषणों एवं लेखों का प्रयोग करते थे। "गांधी जी की प्रबल इच्छा थी कि दक्षिण हिंदी प्रचार का कार्य दक्षिण को वासियों के द्वारा ही होना चाहिए। अतः सन 1927 में हिंदी साहित्य सम्मेलन मद्रास नाम बदलकर, दक्षिण भारत प्रचार सभा रखा गया।"[5]

गांधी जी अंग्रेजी शिक्षा को बहिष्कार की दृष्टि से देखते थे। अंग्रेजी पढ़ना और अपनी मातृभाषा के अपमान करने के लिए बराबर मानते थे। बिहार के भागलपुर में छात्र-सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए। 15 अक्टूबर 1917 को उन्होंने कहा था। "मातृभाषा का अनादर मां के अनादर के बराबर है। जो मातृभाषा का अपमान करता है, वह स्वदेश-भक्त कहलाने लायक नहीं है।"[6] आगे श्रोताओं से निवेदन करते हुए कहते हैं- "मैं आप से इतनी ही प्रार्थना करूंगा कि आपस के व्यवहार में और जहां हो सके वहां सब लोग मातृभाषा का ही उपयोग करें और विद्यार्थियों के अलावा जो महाशय यहां आए हैं वे मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने का भगिरथ प्रयत्न करें।"[7]

20 अक्टूबर 1917 को भडोच में आयोजित द्वितीय गुजरात शिक्षा सम्मेलन में गांधीजी शिक्षा के संबंध में विस्तार से अपना विचार रखते हुए कहते हैं कि अंग्रेजी शिक्षा भारतीय बच्चों के सोच - समझ को दुर्लभ तथा मानसिक स्थिति को हानि पहुंचती है। यह शिक्षा एक तरह भारतीय बच्चों के लिए बोझ के समान है। वहीं मातृभाषा मौलिक चिंतन की और और खोज करने की शक्ति है। "अंग्रेजी के कारण अन्य विषयों की कुछ भी हानि हो, यह दुख की बात है। अंग्रेजी पर अधिकार प्राप्त करने में ही हमारा अधिकांश शक्ति खर्च हो जाए, यह बहुत ही अवांछनीय है।"[8]

16 जून 1920 में 'यंग इंडिया' में गांधी जी ने लिखा था "मुझे पक्का विश्वास है कि किसी दिन हमारे द्रविड़ भाई -बहन गंभीर भाव से हिंदी का

अध्ययन करने लगेंगे। आज अंग्रेजी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए वह जितने मेहनत करते हैं, उसका आठवां हिस्सा भी हिंदी सीखने में करें तो शेष हिंदुस्तान जो आज उनके लिए बंद किताब की तरह है, उससे वे परिचित हो जाएंगे और हमारे साथ उनका ऐसा तारतम्य स्थापित हो जाएगा जैसे पहले कभी नहीं था। कोई भी साधारण आदमी एक साल में हिंदी सीख सकता है। मैं अपने अनुभव से यह कह सकता हूं कि द्रविड़ बालक बहुत ही आसानी से हिंदी सीख लेते हैं। यह बात शायद ही कोई जानता है कि दक्षिण भारत में रहने वाले सभी तमिल- तेलुगु भाषी लोग हिंदी में खूब अच्छी बातचीत कर सकते हैं।"

1 सितंबर 1921 के यंग इंडिया में गांधीजी लिखते हैं "इस विदेशी भाषा के माध्यम ने लड़कों के दिमाग को शिथिल कर दिया है और उनकी दिमागी शक्तियों पर अनावश्यक बोझ डाला है। उन्हें रट्टू और नकलची बना दिया है। मौलिक विचारों और कार्यों के लिए अयोग्य कर दिया है और अपनी शिक्षा का सार अपने परिवार वालों और जनता तक पहुंचने में असमर्थ बना दिया है। इस विदेशी माध्यम ने हमारे बच्चों को अपने ही घर में पूरी परदेसी बना दिया है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में यह सबसे बड़ा दुखांत दृश्य है। अंग्रेजी भाषा के माध्यम ने हमारी देशी भाषाओं के विकास को रोक रोक दिया है। यदि मेरे हाथ में मनमानी करने की सत्ता होती तो मैं आज से ही विदेशी भाषा के द्वारा अपने लड़के- लड़कियों की पढ़ाई बंद करवा देता और सारे शिक्षकों और अध्यापकों से यह माध्यम तुरंत बदलवाता या उन्हें बर्खास्त कर देता। मैं पाठ्य पुस्तकों की तैयारी का इंतजार ना करता। वे तो परिवर्तन के पीछे-पीछे चली आएगी।"[9]

गांधी जी अंग्रेजी को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और कूटनीति की भाषा मानते हैं अंग्रेजी हमारे देशी भाषाओं को हड़पने की कोशिश कर रही है। 'यंग इंडिया' के 2 फरवरी 1921 के अंक में उन्हें लिखा था "अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की भाषा है वह संबंधों की कूटनीति की भाषा है उसके साहित्य का भंडार बहुत बड़ा है और संपन्न है, इसके द्वारा हमें पश्चिमी विचारों और सभ्यता की जानकारी प्राप्त होती है। इसलिए अंग्रेजी का ज्ञानी जरूरी है। ये लोग राष्ट्रीय व्यापार और अंतरराष्ट्रीय संबंधों को चला सकते हैं और देश के पाश्चात्य ज्ञान- विज्ञान और साहित्य एवं विचारों की श्रेष्ठतम उपलब्ध विधियों का ज्ञान कर सकते हैं। यह अंग्रेजी का उचित उपाय होगा मगर आज उसने हमारे मन-मंदिर में सबसे ऊंचा स्थान बना रखा है और मातृभाषा को उसके उसके उचित स्थान से च्युत कर दिया है।"

गांधी जी और पुरुषोत्तमदास टंडन के प्रयासों से विधान सभाओं और कांग्रेस में हिंदी व हिंदुस्तानी का प्रयोग होने लगा था 1925 में कांग्रेस का यह प्रस्ताव तक पास हो गया कि "कांग्रेस यह संकल्प करती है कि कांग्रेस की कार्यवाही यथासंभव हिंदुस्तानी में हुआ करेगा। यदि कोई वक्त हिंदुस्तानी नहीं बोले तो अंग्रेजी या प्रांतीय भाषाओं में भाषण कर सकता है।"[10]

1936 में हरिजन समाचार-पत्र में गांधी जी ने लिखा था "अगर हिंदुस्तान को सचमुच एक राष्ट्र बनाना है तो राष्ट्रभाषा हिंदी ही बना सकती है, क्योंकि जो स्थान हिंदी को प्राप्त है वह किसी दूसरे भाषा को भी नहीं मिल सकता।"[11]

इस प्रकार हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देने के लिए कई कार्यक्रम चलाए गए। हिंदी की वर्तमान स्थिति यह है कि वह पांच रूपों में प्रयुक्त हो रही है- मातृभाषा, संपर्क भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा और विश्व भाषा। भारतीय संविधान में भले ही हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है लेकिन, औपचारिक रूप से राष्ट्रभाषा के रूप में

नहीं। यह भी सच है कि हिंदी अपने सामर्थ्य के बल पर अनौपचारिक रूप से भारत को राष्ट्रभाषा बनी हुई है और राष्ट्र की सर्वाधिक बोली व समझी जा सकने वाली संवाद व संप्रेषक की भाषा हिंदी ही है। हिंदी की इस आंतरिक गुणवत्ता की पहचान पहली बार गांधी जी ने की। हिंदी भारत के राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित हो इसके लिए उन्होंने पहली बार सशक्त आवाज उठाई थी।

संदर्भ

1. भाटिया, कैलाशचंद्र, हिंदी विकास और संभावनाएं, पृष्ठ संख्या-54
2. संपूर्ण गांधी वाड्मय, खण्ड-14, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार,1965, पृष्ठ संख्या-211
3. संपूर्ण गांधी वाड्मय, खंड-14, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार,1965, पृष्ठ संख्या-278-279
4. संस्कृति, भाषा और राष्ट्र-दिनकर, पृष्ठ संख्या-198
5. वही पृष्ठ संख्या-197
6. संपूर्ण गांधी वाड्मय, खंड-14, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, 1965, पृष्ठ संख्या -5
7. वही पृष्ठ संख्या-6
8. वही पृष्ठ संख्या-23
9. संपूर्ण गांधी वाड्मय, खंड-21, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, मार्च,1967, पृष्ठ संख्या-39
10. गोपाल राम, स्वतंत्रता पूर्वक हिंदी के संघर्ष का इतिहास, पृष्ठ संख्या-70
11. प्रभात कुमार, स्वतंत्रता संग्राम और गांधी, भूमिका, पृष्ठ संख्या-8